मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 जनवरी 2013-पौष 21, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

दिनांक 05 जनवरी, 2013

प्रारूप-उन्नीस

[नियम 19 (5) देखिये]

क्र. 02/मुकाअ/संभाग 5/भोविप्रा/13.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-50 उप-धारा (4) के अधीन अनुमोदित की गई नगर विकास योजना अर्थात भोपाल विकास योजना में प्रस्तावित 45 मीटर चौड़े मार्ग के उत्तर-दक्षिण में दोनों तरफ 300-300 मीटर तक योजना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मिसरोद, जाटखेड़ी, कटारा, बागली एवं बर्रई के लिए धारा-50 की उप-धारा (7) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के एतद्द्वारा अंतिमरूप से प्रकाशित की जाती है और उक्त योजना की प्रतियां निम्नलिखित कार्यालयों में 90 दिन के निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में उपलब्ध हैं.—

1. कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ई-5, पर्यावरण परिसर अरेरा कॉलोनी, भोपाल.
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल.
3. कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल.

कुमार पुरुषोत्तम,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

(255-बी.)

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम अनिल Aneel Kumar पुत्र श्री किशाराम था. अब मैंने अपना नाम बदलकर अनिल कुमार राजपाल Anil kumar Rajpal पुत्र श्री किशाराम रख लिया है. वर्तमान में मेरा नाम परिवर्तित होकर अनिल कुमार राजपाल हो गया है और इसी नाम से मैं अपने हस्ताक्षर करता हूँ और जाना- पहचाना जाता हूँ.

पुराना नाम :
(अनिल कुमार)

नया नाम :
(अनिल कुमार राजपाल)
पुत्र-श्री किशाराम,
114, त्रिवणी कॉलोनी एक्सटेंशन, इंदौर (म. प्र.).

(250-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम सुनीता कुमारी (Sunita kumari) पत्नी श्री अनिल कुमार Aneel Kumar था. अब मैंने अपना नाम बदलकर सुनीता कुमारी राजपाल Sunita kumari Rajpal पत्नी श्री अनिल कुमार राजपाल Anil kumar Rajpal रख लिया है. वर्तमान में मेरा नाम परिवर्तित होकर श्रीमती सुनीता कुमारी राजपाल पत्नी श्री अनिल कुमार राजपाल हो गया है. वर्तमान में मैं, इसी नाम से जानी पहचानी जाती हूँ. व इसी नाम से अपने हस्ताक्षर करती हूँ.

पुराना नाम :
(सुनीता कुमारी)

नया नाम :
(सुनीता कुमारी राजपाल)
पत्नी श्री अनिल कुमार राजपाल,
114, त्रिवणी कॉलोनी एक्सटेंशन, इंदौर (म. प्र.).

(251-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, सुनील बाखरू जो पूर्व में रामचन्द्र बाखरू के नाम से जाना जाता था, अब मुझे सुनील बाखरू पुत्र प्रहलाद ताराचंद्र बाखरू, निवासी ई-7/22, चित्रगुप्त सोसायटी, अरेरा कॉलोनी भोपाल के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :
(रामचन्द्र बाखरू)

नया नाम :
(सुनील बाखरू)
पुत्र प्रहलाद ताराचंद्र बाखरू,
निवासी ई-7/22, चित्रगुप्त सोसायटी, अरेरा कॉलोनी भोपाल.

(252-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मुझ राजेन्द्र कुमार पिता झमटमल मेघनानी, निवासी मंदसौर ने अपना नाम परिवर्तन कर नया नाम राजकुमार पिता झमटमल जी मेघनानी रख लिया है तथा मुझे भविष्य में इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(राजेन्द्र कुमार)

नया नाम :
(राजकुमार मेघनानी)
पिता झमटमल जी मेघनानी,
12-13, दशरथ नगर, मंदसौर (मध्यप्रदेश).

(253-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स माटोलिया मोटल्स, नये बस स्टेण्ड के पास, लिंक रोड, ग्वालियर, जो कि एक साझेदारी फर्म है इसमें होटल एवं अन्य व्यवसाय किया जाता है. उक्त फर्म में दिनांक 28 अप्रैल, 2005 को श्री निपुन गर्ग पुत्र स्व. श्री महेन्द्र कुमार गर्ग, निवासी- आगरा बॉम्बे रोड, शिवपुरी एवं श्री नीलेश शर्मा पुत्र श्री सत्य नारायण शर्मा, निवासी-1, शिवाजी मार्ग, बिरला नगर, ग्वालियर को सम्मिलित किया गया है.

उक्त फर्म से दिनांक 31 मार्च, 2012 को श्री गिरीश अग्रवाल पुत्र श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल, निवासी अरेरा कॉलोनी, भोपाल एवं रूचि गर्ग पुत्री श्री विष्णु प्रसाद गर्ग, निवासी-1, ऊषा कॉलोनी, ग्वालियर स्वेच्छा से पृथक् हो गए हैं. वर्तमान में उक्त साझेदारी व्यवसाय श्री विष्णु प्रसाद गर्ग, श्री निपुन गर्ग एवं श्री नीलेश शर्मा साझेदारों द्वारा चलाया जा रहा है.

(विष्णु प्रसाद गर्ग)
मैसर्स माटोलिया मोटल्स,
नये बस स्टेण्ड के पास, लिंक रोड
ग्वालियर (मध्यप्रदेश).

(249-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स बी. आई. एम. आर. मेडीकल स्टोर्स, बी. आई. एम. आर. केम्पस, सूर्य मंदिर रोड, रेजीडेन्सी, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) के नाम में परिवर्तन किया जा रहा है. इस फर्म का नाम अब मेसर्स अजय मेडीकल स्टोर्स रहेगा.

अतः भविष्य में मेसर्स बी. आई. एम. आर. मेडीकल स्टोर्स को मेसर्स अजय मेडीकल स्टोर्स के नाम से जाना जावे एवं पढ़ा जावे.

नीलेश शर्मा एवं अजय शर्मा,
पार्टनर्स,
बी. आई. एम. आर. मेडीकल स्टोर्स,
बी. आई. एम. आर. केम्पस, सूर्य मंदिर रोड,
रेजीडेन्सी, ग्वालियर (मध्यप्रदेश).

(254-बी.)

हिस्सेदारी समाप्त करने बावत्

मे. स्वरूप ट्रैक्टर्स एजेन्सी के पार्टनर/भागीदार श्री रघुनन्दन सिंह पिता श्री मथुरा सिंह, नई बस्ती, वार्ड क्रं. 13, आदर्श नगर, सतना (मध्यप्रदेश) ने फर्म से अपनी हिस्सेदारी 30 सितम्बर, 2012 से समाप्त कर ली है. श्री रघुनन्दन सिंह की जगह मे. स्वरूप ट्रैक्टर्स एजेन्सी के नये पार्टनर/भागीदार श्री ज्ञानेन्द्र सिंह पिता श्री राजेन्द्र सिंह, 4/410, 'गोबरांव हाउस' टिकुरिया टोला, नई ब़स्ती, सतना (मध्यप्रदेश) होंगे. 30 सितम्बर, 2012 के पश्चात मे. स्वरूप ट्रैक्टर्स एजेन्सी से रघुनन्दन सिंह को पूर्णतय: अलग माना जाये व उनका उक्त फर्म से कोई लेना-देना नहीं होगा.

ज्ञानेन्द्र सिंह,
प्रबन्धक,
मेसर्स स्वरूप ट्रैक्टर्स एजेन्सी,
तहसील के पास, सरला नगर रोड,
(256-बी.) मैहर, जिला सतना (मध्यप्रदेश).

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, डबरा, जिला ग्वालियर

प्र. क्र. 01/12-13/बी-113(1) डबरा, दिनांक 05 दिसम्बर, 2012

प्रारूप-4

[नियम-5 (1) देखिए]

आवेदकगण श्री पोथीराम साहू पुत्र श्री घनश्याम साहू, निवासी ग्राम मेहगांव, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर एवं अन्य द्वारा "श्री मोदी बाबा धाम ट्रस्ट ग्राम व पोस्ट गिजोर्रा, डबरा जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश". के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया है.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास संबंधी कोई न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव रखने वाले इस सूचना के तीस दिवस के अन्दर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और मेरे न्यायालय में मेरे समक्ष नियत अवधि के अन्दर या तो स्वंय या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये, उपरोक्त अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम व पता	:	श्री मोदी बाबा धाम ट्रस्ट ग्राम व पोस्ट गिजोर्रा, डबरा जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश.
सम्पत्ति का विवरण	:	अचल सम्पत्ति निरंक. चल सम्पत्ति-25,000/- रूपये नगद.

अनुराग चौधरी,
(04) अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय लोक न्यास पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी, अम्बाह

प्र. क्र. 01/12-13 XB/113

सेवाट्रस्ट पंचमुखी हनुमान क्षत्रिय समाज,अम्बाह जिला मुरैना, मध्यप्रदेश.

..... प्रार्थी

बनाम

.....प्रत्यर्थी

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि सेवाट्रस्ट पंचमुखी हनुमान, क्षत्रिय समाज मुक्तीधाम, रोड अम्बाह, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश के न्यास के पंजीयन हेतु न्यास के अध्यक्ष श्री प्यारेसिंह तोमर पुत्र श्री करनसिंह तोमर, निवासी अम्बाह, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश ने लोक न्यास के पंजीयन के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है उक्त न्यास की अचल सम्पत्ति में ग्राम अम्बाह, तहसील अम्बाह की भूमि:-

सर्वे क्रमांक 1040 मिन 6 रकबा 0.031 हेक्टर, व 1040 मिन 8 रकबा 0.256 में से 0.052 हेक्टर, कुल 0.083 हेक्टर अर्थात कुल 8 विस्वा भूमि जिसमें एक मंदिर बना है तथा एक धर्मशाला का निर्माण है. जिसमें वर्तमान में स्कूल संचालित है. इसके अलावा मंदिर में स्थापित देवी-देवताओं की प्रतिष्ठित मूर्तियां व दैनिक पूजन आदि के उपयोग का सामान है. जिसकी सूची समिति के पास उपलब्ध है. उक्त सभी सम्पत्ति मंदिर के स्वामित्व व आधिपत्य की है.

यदि किसी व्यक्ति को अथवा संस्था आदि को उक्त के पंजीयन में कोई आपत्ति हो तो वह नियत दिनांक 10 जनवरी, 2013 को अथवा उसके पूर्व अथवा प्रकाशन के 30 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे. किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त न होने पर नियमानुसार न्यास का पंजीयन किया जावेगा.

यह आज दिनांक 24 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर व मुद्रा से जारी किया गया.

एम. एल. सीशोदिया,
अनुविभागीय अधिकारी.

(01)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, घट्टिया जिला उज्जैन

प्र. क्र. बी-113/11-12

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,
लोक न्यास, उज्जैन,
जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि प्रतिनिधि प्रबंधक- (1) श्री अमर भारती पिता रमेश भारती, निवासी 108 नामदारपुरा गणेश चौक भेरूनाला उज्जैन. (2) श्रीमती चंदा भारतीय पति अमर भारती, निवासी 108 नामदारपुरा गणेश चौक भेरूनाला उज्जैन, न्यासीगण- (1) श्रीमती विद्या भारती पति रमेश भारती, निवासी 108, नामदारपुरा गणेश चौक भेरूनाला उज्जैन, (2) श्री रमेश भारती पिता स्व. शिवराज भारती, निवासी 108, नामदारपुरा गणेश चौक भेरूनाला उज्जैन, (3) श्री धनराज गिरी पिता स्व. मंगल गिरी ग्राम 62 लोहारा तहसील डिक्री जिला बड़वानी का मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 21 जनवरी, 2013 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	..	श्री महामंगलेश्वर जन कल्याण ट्रस्ट.
कार्यालय	..	निवासी 108 नामदारपुरा गणेश चौक भेरूनाला, उज्जैन.
चल/अचल सम्पत्ति	..	ट्रस्ट के नाम एक एफ. डी. आर. रूपये पाँच हजार एवं एक बैंक खाता बैंक ऑफ इंडिया, शाखा सेठी नगर उज्जैन तथा पाताल विजय हनुमान मंदिर मंगलनाथ रोड उज्जैन.

रोहित सक्सेना,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(02)

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, बुरहानपुर

प्र.क्र. 8बी/113/2008-2009.

प्रारूप-तृतीय

(नियम पाँच-1 देखिये)

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत)

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि अध्यक्ष, भारत पिता नत्थू चौहान, निवासी शिकारपुरा, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश ने "श्री सकलपंच भोई समाज ट्रस्ट, शिकारपुरा, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश" का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये "लोक न्यास" के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 29 जनवरी, 2013 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1.	ट्रस्ट का नाम व पता	:	"श्री सकलपंच भोई समाज ट्रस्ट, शिकारपुरा, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश"
2.	चल सम्पत्ति	:	निरंक
3.	अचल सम्पत्ति	:	शिकारपुरा ब्लॉक नं. 55, प्लाट नं. 40, 42 रकबा 828, 1138 वर्गफीट सम्पत्ति.

सूरज नागर,
पंजीयक.

(03)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास का पंजीयक, क्षेत्र मनावर, जिला धार

मनावर, दिनांक 30 नवम्बर, 2012

फॉर्म-4

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) के द्वारा]

आवेदक दाऊदी बोहरा जमात, बाकानेर, तहसील मनावर, जिला धार, मध्यप्रदेश द्वारा प्रबंधकः- मोहम्मद फखरूद्दीन इज्जी, काजी मोहल्ला, मेनरोड, बाकानेर, तहसील मनावर, जिला धार, मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास, अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत सार्वजनिक लोक न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसकी सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 20 दिसम्बर, 2012 को प्रतः 11: 00 बजे की जावेगी.

उक्त पंजीयन के संबंध में यदि किसी को किसी प्रकार की आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहते है, तो वह मेरे समक्ष उपर्युक्त तारीख पर या व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. उपर्युक्त नियत अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम	:	दाऊदी बोहरा जमात, बाकानेर, तहसील मनावर, जिला धार, मध्यप्रदेश
2.	अचल सम्पत्ति	:	निरंक
3.	चल सम्पत्ति	:	5,152/- (पाँच हजार एक सौ बावन रुपये मात्र)

बी. एस. सोलंकी,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(06)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 14 दिसम्बर, 2012

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1991/1072, विदिशा, दिनांक 10 मई, 1991 से नगरपालिका चतुर्थ श्रेणी, कर्मचारी सहकारी संस्था मर्यादित कुरवाई, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./228, दिनांक 31 मार्च, 1978 को परिसमापन में लाया जाकर श्री ए. के. जैन, सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड कुरवाई को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा नगरपालिका चतुर्थ श्रेणी, कर्मचारी सहकारी संस्था मर्यादित, कुरवाई, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1 सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगरपालिका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सहकारी संस्था मर्यादित, कुरवाई तहसील कुरवाई, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./228, दिनांक 31 मार्च, 1978 का पंजीयन निरस्त करते हुये उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(08)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

ब्राम्हण समाज साख सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा के प्राधिकृत अधिकारी श्री जी.के. पंजाबी, सहकारी निरीक्षक ने अपने पत्र निल दिनांक 03 अक्टूबर, 2012 से प्रतिवेदित किया है कि संस्था विगत 2 वर्ष 6 माह से पूर्णत: अकार्यशील है. संस्था के समस्त 332 सदस्य ओव्हरड्यू है. संस्था की ऋण वसूली भी नहीं हो पा रही है. संस्था संचित हानि में है. संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन कराना संभव नही है. संस्था की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए एवं सदस्यों द्वारा रूचि न लेने के कारण अकार्यशील है, जिसे परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है. प्राधिकृत अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इस सहकारी संस्था ने कार्य बंद कर दिया है और संस्था के प्रबंध के लिये आवश्यक संचालक मण्डल का निर्वाचन संबंधी धारा-49 (8) के प्रावधान का अनुपालन करना बंद कर दिया है और इस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (ए/क) एवं (सी/ग) में वर्णित परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गईं. जिसके कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रंमाक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा ब्राम्हण समाज साख सहकारी समिति मर्यादित, विदिशा पंजीयन क्रमांक 4315, दिनांक 27 मई, 1971 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जावे. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज 05 दिसम्बर, 2012 को जारी करता हूँ.

(08-A)

विदिशा, दिनांक 07 दिसम्बर, 2012

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2001/1772, विदिशा, दिनांक 06 अक्टूबर, 2001 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित सीहोद, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./316, दिनांक 21 अक्टूबर, 1987 को परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. के सोनी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड ग्यारसपुर को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सीहोद, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1 सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सीहोद, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./316, दिनांक 21 अक्टूबर, 1987 का पंजीयन निरस्त करते हुये उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(08-B)

विदिशा, दिनांक 07 दिसम्बर, 2012

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2001/1881, विदिशा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित वन, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./274, दिनांक 30 अप्रैल, 1986 को परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. के सोनी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकास खंड ग्यारसपुर को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित वन, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1 सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित वन, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./274, दिनांक 30 अप्रैल, 1986 का पंजीयन निरस्त करते हुये उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(08-C)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, जिला धार

धार, दिनांक 09 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1883.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./09/839, धार, दिनांक 30 जून, 2009 के द्वारा आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., कुसुमला, तहसील धरमपुरी, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक 693, दिनांक 13 अक्टूबर, 1987 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-05-01-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., कुसुमला, तहसील धरमपुरी, जिला धार का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 09 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(10)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवगढ़,

पोस्ट—देवगढ़, तह. मनावर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1090, दिनांक 06 अक्टूबर, 2001)

क्र./परि./2012/1887.—चूंकि आपकी संस्था के दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर की अनुशंसा रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. अतः निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण पदार्थों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूं कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 30 नवम्बर, 2012 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(10-A)

धार, दिनांक 09 नवम्बर, 2012

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धानी,

पोस्ट—धानी, तह. धरमपुरी, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1140, दिनांक 23दिसम्बर, 2002)

क्र./परि./2012/1887.—चूंकि आपकी संस्था के दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर की अनुशंसा रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. अतः निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण पदार्थों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूं कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 30 नवम्बर, 2012 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(10-B)

धार, दिनांक 09 नवम्बर, 2012

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पचलाना,

पोस्ट—गरड़ावद, तह. धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1086, दिनांक 05 अक्टूबर, 2001)

क्र./परि./2012/1887.—चूंकि आपकी संस्था के दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर की अनुशंसा रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. अतः निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण पदार्थों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूं कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 30 नवम्बर, 2012 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(10- C)

धार, दिनांक 09 नवम्बर, 2012

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,सिमलावदा,

पोस्ट—चिलुर, तह. धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1120, दिनांक 13 सितम्बर, 2002)

क्र./परि./2012/1887.—चूंकि आपकी संस्था के दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर की अनुशंसा रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. अतः निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण पदार्थों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूं कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 30 नवम्बर, 2012 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(10- D)

धार, दिनांक 09 नवम्बर, 2012

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नेकपुरा,

पोस्ट—नेकपुरा, तह. धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1106, दिनांक 25 जून, 2002)

क्र./परि./2012/1887.—चूंकि आपकी संस्था के दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर की अनुशंसा रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. अतः निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण पदार्थों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूं कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 30 नवम्बर, 2012 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(10- E)

धार, दिनांक 09 नवम्बर, 2012

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,पिपलखेड़ा,

पोस्ट—उटावद, तह. धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1093, दिनांक 15 अक्टूबर, 2001)

क्र./परि./2012/1887.—चूंकि आपकी संस्था के दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर की अनुशंसा रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. अतः निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण पदार्थों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूं कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 30 नवम्बर, 2012 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(10- F)

धार, दिनांक 09 नवम्बर, 2012

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,पंचीघाटी,

पोस्ट—पिपलाज, तह. धरमपुरी, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1139, दिनांक 23 दिसम्बर, 2002)

क्र./परि./2012/1887.—चूंकि आपकी संस्था के दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर की अनुशंसा रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. अतः निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण पदार्थों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूं कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 30 नवम्बर, 2012 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(10- G)

धार, दिनांक 09 नवम्बर, 2012

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,ताजपुर,

पोस्ट—तोरनोद, तह. धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1127, दिनांक 25 नवम्बर, 2002)

क्र./परि./2012/1887.—चूंकि आपकी संस्था के दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर की अनुशंसा रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. अतः निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण पदार्थों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूं कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 30 नवम्बर, 2012 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(10- H)

धार, दिनांक 09 नवम्बर, 2012

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झाड़ीबरोदा,

पोस्ट—कुवरसी, तह. धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1195, दिनांक 23 नवम्बर, 2005)

क्र./परि./2012/1887.—चूंकि आपकी संस्था के दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर की अनुशंसा रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. अतः निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण पदार्थों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूं कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 30 नवम्बर, 2012 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(10- I)

धार, दिनांक 09 नवम्बर, 2012

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कालुखेड़ी,

पोस्ट—लबरावदा, तह. धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 914, दिनांक 07 दिसम्बर, 1992)

क्र./परि./2012/1887.—चूंकि आपकी संस्था के दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर की अनुशंसा रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. अतः निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण पदार्थों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन; सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूं कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 30 नवम्बर, 2012 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(10-J)

धार, दिनांक 09 नवम्बर, 2012

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुंडला,

पोस्ट—बगड़ी, तह. धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 925, दिनांक 10 मार्च,1993)

क्र./परि./2012/1887.—चूंकि आपकी संस्था के दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर की अनुशंसा रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. अतः निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण पदार्थों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूं कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 30 नवम्बर, 2012 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(10- K)

धार, दिनांक 09 नवम्बर, 2012

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., साभंर,

पोस्ट—साभंर, तह. धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 480, दिनांक 07 जून, 1982)

क्र./परि./2012/1887.—चूंकि आपकी संस्था के दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर की अनुशंसा रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. अत: निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण पदार्थों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूं कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 30 नवम्बर, 2012 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(10-L)

धार, दिनांक 09 नवम्बर, 2012

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आमझेरा,

पोस्ट—आमझेरा, तह. सरदारपुर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 401, दिनांक 20 जून, 1978)

क्र./परि./2012/1887.—चूंकि आपकी संस्था के दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर की अनुशंसा रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. अत: निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण पदार्थों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन; सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूं कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 30 नवम्बर, 2012 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(10-M)

धार, दिनांक 09 नवम्बर, 2012

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिल्लोद,

पोस्ट—नालछा, तह. धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 538, दिनांक 16 अप्रैल, 1983)

क्र./परि./2012/1887.—चूंकि आपकी संस्था के दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर की अनुशंसा रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. अत: निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण पदार्थों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूं कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 30 नवम्बर, 2012 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(10-N)

धार, दिनांक 09 नवम्बर, 2012

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिजुर,

पोस्ट—बिजुर, तह. धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 497, दिनांक 07 जून, 1982)

क्र./परि./2012/1887.—चूंकि आपकी संस्था के दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर की अनुशंसा रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. अत: निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण पदार्थों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूं कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 30 नवम्बर, 2012 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(10-O)

धार, दिनांक 09 नवम्बर, 2012

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टिमायची,

पोस्ट—टिमायची, तह. सरदारपुर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 614, दिनांक 20 अक्टूबर, 1984)

क्र./परि./2012/1887.—चूंकि आपकी संस्था के दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर की अनुशंसा रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. अतः निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण पदार्थों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूं कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 30 नवम्बर, 2012 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(10- P)

धार, दिनांक 09 नवम्बर, 2012

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., साहेबनगर,

पोस्ट—साहेबनगर, तह. बदनावर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 706, दिनांक 22 फरवरी, 1988)

क्र./परि./2012/1887.—चूंकि आपकी संस्था के दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर की अनुशंसा रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. अतः निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.

3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.

4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.

5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.

6. संस्था अकार्यशील होने के कारण पदार्थों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूं कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 30 नवम्बर, 2012 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(10-Q)

धार, दिनांक 09 नवम्बर, 2012

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिलोदाखुर्द,

पोस्ट—बामंदाकला, तह. बदनावर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 704, दिनांक 22 फरवरी, 1988)

क्र./परि./2012/1887.—चूंकि आपकी संस्था के दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर की अनुशंसा रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. अतः निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.

3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.

4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.

5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.

6. संस्था अकार्यशील होने के कारण पदार्थों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूं कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 30 नवम्बर, 2012 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(10- R)

धार, दिनांक 09 नवम्बर, 2012

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खिलेड़ी,

पोस्ट—खलेड़ी, तह. बदनावर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 702, दिनांक 22 फरवरी, 1988)

क्र./परि./2012/1887.—चूंकि आपकी संस्था के दुग्ध सहकारी संघ मर्या., इन्दौर की अनुशंसा रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. अत: निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण पदार्थों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूं कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 30 नवम्बर, 2012 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(10-S)

धार, दिनांक 09 नवम्बर, 2012

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बगड़ीपुरा,

पोस्ट—सुन्द्रैल, तह. धरमपुरी, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 996, दिनांक 29 अक्टूबर, 1996)

क्र./परि./2012/1887.—चूंकि आपकी संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन व अंकेक्षण कक्ष की अनुशंसा पत्र से यह स्पष्ट होता है कि आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुरूप कार्य संपादित नहीं कर रही है. अत: निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है.

3. जॉच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.

4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.

5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.

6. संस्था अकार्यशील होने के कारण पदार्थों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूं कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो तो दिनांक 30 नवम्बर, 2012 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(10-T)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

देवीसागर मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., नौगांव धार, तहसील व जिला धार, पंजीयन क्रमांक 1050, दिनांक 07 मार्च, 2000 है, का कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/10/484, धार, दिनांक 31 मार्च, 2010 अनुसार परिसमापन में लाई जाकर संशोधित आदेश क्रमांक/परि./2012/1596, दिनांक 14 सितम्बर, 2012 अनुसार श्री व्ही.एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समिति के परिसमापक द्वारा समिति के कार्यशील बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाकर समिति को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत किया है.

प्रस्ताव का परीक्षण करने पर पाया गया है कि समिति कार्यशील होकर एक सक्षम इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सकेगी एवं समिति को पुनर्जीवित करना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, भंवर मकवाना, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-05-01-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए देवीसागर मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., नौगांव धार, तहसील व जिला धार को पुनर्जीवित करता हूँ. समिति के कार्य संचालन हेतु कामकाज कमेटी तीन माह के लिये नियुकत करता हूँ.—

क्र.	नाम	पद
1.	श्री देवीसिंह कालुरामजी सुजान	अध्यक्ष
2.	श्री प्रहलाद चंद्रशेखर रौधाने	उपाध्यक्ष
3.	श्री लीलाधर दुलीचंद	सदस्य
4.	श्री राजेन्द्र केयार	सदस्य
5.	श्री चंद्रशेखर बालमुकुंद	सदस्य
6.	श्रीमती विमलाबाई प्रहलाद	सदस्य
7.	श्रीमती सीमाबाई पुरूषोत्तम	सदस्य
8.	श्री परसराम मदनलाल	सदस्य
9.	श्री अमृतलाल बाबूलाल	सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 27 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(10- U)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1431, धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012 अनुसार तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिडवाल, तहसील बदनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./509, दिनांक 06 अक्टूबर, 1982 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी ''डी'' वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिडवाल, तहसील बदनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(10-V)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1432, धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012 अनुसार तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मनासा, तहसील बदनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./543, दिनांक 23 अप्रैल, 1983 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी ''डी'' वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मनासा, तहसील बदनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(10-W)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1440, धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012 अनुसार तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गरड़ावद, तहसील धार, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./687, दिनांक 25 जुलाई, 1987 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी ''डी'' वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गरड़ावद, तहसील धार, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(10-X)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1439, धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012 अनुसार तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पचलाना, तहसील धार, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./686, दिनांक 25 जुलाई, 1987 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी ''डी'' वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पचलाना, तहसील धार, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(10-Y)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./12/1436, धार, दिनांक 23 अगस्त, 2012 अनुसार तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कलसाड़ा, तहसील धार, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक/DR./667, दिनांक 20 सितम्बर, 1985 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. किन्तु संस्था द्वारा जो उत्तर प्रस्तुत किया गया है/नहीं किया गया है, वह असंतोषजनक है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 एवं पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है तथा विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी ''डी'' वर्ग देने से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, भंवर मकवाना, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कलसाड़ा, तहसील धार, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी, धार को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

भंवर मकवाना,
उप-पंजीयक.

(10-Z)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 5 दिसम्बर, 2012

(मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-61 के अन्तर्गत)

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेशानुसार मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4	5
1.	उन्नति महिला बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता पिठोरा, तहसील बड़नगर	31/22-04-2003	623/22-04-2009	2052/17-09-2010
2.	उन्नति साख स्वायत्त सहकारिता बड़नगर, तह. बड़नगर	62/17-06-2003	623/22-04-2009	2052/17-09-2010
3.	बिलकेश्वर महिला बहुउद्देशीय स्वायत्त सहकारिता धतुरिया, तहसील बड़नगर	43/12-05-2003	623/22-04-2009	2052/17-09-2010

अत: मैं, समीर हरदास, उप अंकेक्षक मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-61 के अन्तर्गत के अनुसार सर्वसाधारणी जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ, कि उक्त संस्थाओं के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी समान अथवा रेकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रेकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

समीर हरदास,

(09) परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 02] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 जनवरी 2013-पौष 21, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 26 सितम्बर, 2012

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.-

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील भितरवार (ग्वालियर), मुंगावली, अशोकनगर, चन्देरी (अशोकनगर), निवाड़ी, जतारा, ओरछा (टीकमगढ़), बिजावर, बकस्वाहा (छतरपुर), बीना, सागर, मालथोन (सागर), दमोह, जवेरा (दमोह), रामपुरबघेलान (सतना), जेतहरी, कोतमा (अनूपपुर), पाली, मानपुर (उमरिया), गोपदवनास, सिंहावल, मझोली, कुसमी (सीधी), खाचरौद, महिदपुर, तराना, घटिया, उज्जैन, बड़नगर (उज्जैन), मो. बड़ोदिया, कालापीपल, गुलाना (शाजापुर), झाबुआ, राणापुर (झाबुआ), उदयगढ़, आजादनगर, सोण्डवा (अलीराजपुर), गंधवानी (धार), पानसेमल (बड़वानी), खकनार (बुरहानपुर), राजगढ़ (राजगढ़), सिरोंज, कुरवाई, नटेरन, ग्यारसपुर (विदिशा), हुजूर (भोपाल), भैंसदेही, घोड़ाडोंगरी (बैतूल), होशंगाबाद, बाबई, इटारसी, वनखेड़ी, पचमढ़ी (होशंगाबाद), पाटन, जबलपुर, कुण्डम (जबलपुर), बहोरीबंद, बरही, बड़वारा (कटनी), डिण्डोरी, शाहपुरा (डिण्डोरी), सिवनी, बरघाट, घंसोर, धनोरा, (सिवनी), कटंगी (बालाघाट), नरसिंहपुर, तेन्दूखेड़ा (नरसिंहपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील देवरी, गढ़ाकोटा (सागर), उचेहरा, अमरपाटन, मैहर (सतना), अलीराजपुर, (अलीराजपुर), बदनावर, कुक्षी, मनावर, धरमपुरी (धार), बुरहानपुर, नेपानगर (बुरहानपुर), सारंगपुर (राजगढ़), विदिशा (विदिशा), चिचोली, मुलताई, आठनेर, आमला (बैतूल), सीहोरा (जबलपुर), विजयराघवगढ़ (कटनी), करेली (नरसिंहपुर), लखनादौन (सिवनी), लाँजी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील रहली (सागर), अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़ (उमरिया), जोवट, कट्टीवाडा (अलीराजपुर), धार (धार), मझोली (जबलपुर), केवलारी, छपारा (सिवनी), बालाघाट, वारासिवनी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) **53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.**—तहसील केसली (सागर), नागदा (उज्जैन), डही (धार), बैतूल (बैतूल), कुरई (सिवनी), में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दमोह, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, शाजापुर, भोपाल में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला डिण्डोरी में फसल जगनी की व अनूपपुर में रबी फसलों की बोनी कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—जिला अशोकनगर में फसल सोयाबीन पर कहीं-कहीं इल्ली का प्रकोप है.

5. **कटाई.**— जिला झाबुआ में मक्का, धार व भोपाल, हरदा में सोयाबीन, दमोह में उड़द, मूंग, धान, बैतूल में मक्का, सोयाबीन की कटाई तथा मूंगफली की खुदाई कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, छतरपुर, सागर, शहडोल, बड़वानी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 26 सितम्बर, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7 . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) बाजरा, ज्वार, मक्का, राई-सरसों	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .		समान.		
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) धान, बाजरा, ज्वार, तिल, मक्का,	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .		सोयाबीन समान.		
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) ज्वार, बाजरा, तिल सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, उड़द, अधिक. मूंगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		तिल, मूंगमोठ, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	3.0		(2) . .		
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) उड़द, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, ज्वार	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		धान, गन्ना, बाजारा, मक्का मूंग.	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .		(2) . .		
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन फसल पर इल्ली का प्रकोप है	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुंगावली	8.0		4. (1) उड़द. सोयाबीन गन्ना अधिक. मक्का कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	8.0				
4. चन्देरी	10.0				
5. शाढौरा	. .				
***जिला गुना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. राघोगढ़	. .		(2) . .		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	5.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) धान, ज्वार, मूंग, उड़द,सोयाबीन, तिल, मूँगफली समान.		
3. जतारा	5.0				
4. टीकमगढ़	. .				
5. मोहनगढ़	. .				
6. बल्देवगढ़	. .				
7. लिधोरा	. .				
8. पलेरा	. .				
9. खरगापुर	वर्षा मापी यंत्र नहीं.				
10. ओरछा	8.0				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) ज्वार, अरहर, तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .		
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	10.0				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बकस्वाहा	9.0				
***जिला पन्ना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पन्ना	. .		(2) . .		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	10.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) धान, ज्वार, मक्का, कोदों, अरहर, मूंग, उड़द, गन्ना, मूंगफली, तिल, सोयाबीन समान.		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	0.1				
5. रेहली	39.0				
6. देवरी	24.0				
7. गढ़ाकोटा	22.6				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	59.8				
10. शाहगढ़	. .				
11. मालथोन	2.2				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं उड़द, मूंग, धान की कटाई का कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, तिल,	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	14.0		सोयाबीन समान.		
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	7.0				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) मक्का अधिक. सोयाबीन कम. धान,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		उड़द, मूंग, को.कु., तिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	7.0		(2) . .		
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	24.0				
6. अमरपाटन	20.0				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	18.0				
9. बिरसिंहपुर	. .				
***जिला रीवा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. त्यौंथर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सिरमौर	. .		(2) . .		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. रायपुरकर्चुलियान	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) मक्का, ज्वार, उड़द, अरहर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		कोदों-कुटकी तिल कम	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	. .		सोयाबीन समान.		
4. जैतपुर	. .		(2) . .		
5. बुढार	. .				
6. गोहपारू	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	1.6		4. (1) धान, सोयाबीन अधिक. मक्का, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	35.5		राहर, कोदों, तिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	13.2		(2) . .		
4. पुष्पराजगढ़	37.4				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. बांधवगढ़	37.4		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	6.0		अरहर, उड़द, सोयाबीन, तिल अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	10.0		(2) . .		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. गोपदवनास	2.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	3.0		(2) धान,मक्का, ज्वार, कोदों-कुटकी,	चारा पर्याप्त.	
3. मझोली	6.6		तिल, तुअर, उड़द, मूँग, सांवा		
4. कुसमी	10.0		समान.		
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) धान, मक्का, सांवा, ज्वार, अरहर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		तिल, उड़द, मूंग, कोदों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
***जिला मन्दसौर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. सीतामऊ	. .				
7. धुन्धड़का	. .				
8. शामगढ़	. .				
9. संजीत	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) मक्का, मूंगफली, तिल, तुअर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		अधिक. उड़द कम. सोयाबीन समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	. .		(2) . .		
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1)सोयाबीन, मक्का, कपास समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	3.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	6.0		(2) सोयाबीन, मक्का समान.	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	9.4				
4. घटिया	2.0				
5. उज्जैन	4.0				
6. बड़नगर	14.8				
7. नागदा	82.0				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	5.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2)सोयाबीन, ज्वार, अरहर,मूंगफली	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .		मक्का, समान.		
4. आगर	. .				
5. बड़ौद	. .				
6. शाजापुर	. .				
7. शुजालपुर	. .				
8. कालापीपल	6.0				
9. गुलाना	7.0				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन अधिक. ज्वार, मक्का, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. मक्का फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) सोयाबीन अधिक. धान कम. मक्का, कपास, मूँगफली, उड़द, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .				
3. पेटलावद	. .		(2) . .		
4. झाबुआ	1.8				
5. राणापुर	2.0				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. जोवट	35.8		4. (1) धान, कपास,उड़द, सोयाबीन, तुअर अधिक. ज्वार, मक्का कम.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	25.6				
3. कट्टीवाड़ा	50.0		(2) . .		
4. सोण्डवा	5.0				
5. उदयगढ़	7.2				
6. आजादनगर	6.0				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन की फसल की कटाई कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	21.3		4. (1) सोयाबीन अधिक. ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) . .		
3. धार	41.8				
4. कुक्षी	28.3				
5. मनावर	23.0				
6. धरमपुरी	20.0				
7. गंधवानी	14.0				
8. डही	62.0				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		(2) . .		
3. महेश्वर	. .				
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगोन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..		4. (1)कपास, मक्का, गन्ना, सोयाबीन, ज्वार अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	..		(2) ..		
3. अंजड	..				
4. राजपुर	..				
5. सेंधवा	..				
6. बरला	..				
7. पानसेमल	9.0				
8. पाटी	..				
9. निवाली	..				
***जिला पूर्व-निमाड़ :**	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पंधाना	..		(2) ..		
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	18.8		4. (1) गन्ना, मूँगफली, अधिक. तिल, कपास, तुअर, मूंग, उड़द कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	4.0		(2) ..		
3. नेपानगर	22.5				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जीरापुर	..		4. (1) सोयाबीन अधिक. गन्ना, ज्वार कम. मक्का, मूँगफली, तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		(2) ..		
3. राजगढ़	11.0				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	33.4				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. लटेरी	..		4. (1) उड़द, तुअर, मूंग, मक्का ज्वार.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	12.0		(2) ..		
3. कुरवाई	4.0				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	6.0				
6. विदिशा	23.0				
7. ग्यारसपुर	2.0				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं सोयाबीन फसल कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	1.2		(2) सोयाबीन, मक्का, तुअर, मूँगफली, गन्ना समान.		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, ..	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) ..		
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
***जिला रायसेन :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रायसेन	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. गैरतगंज	. .		(2) . .		
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. मक्का, सोयाबीन की कटाई एवं मूंगफली की तुड़ाई कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	3.0		4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	10.0		(2) . .		
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	29.4				
5. बैतूल	69.8				
6. मुलताई	23.2				
7. आठनेर	20.5				
8. आमला	25.0				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) तुअर अधिक. मूँगमोठ, उड़द, कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	15.4		(2) . .		
3. बाबई	5.0				
4. इटारसी	15.0				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	9.4				
8. पचमढ़ी	10.8				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन, फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) सोयाबीन समान.		
3. टिमरनी	. .				
4. हण्डिया	. .				
5. रहटगांव	. .				
6. सिराली	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	22.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	13.4		(2) . .		
3. जबलपुर	07.8				
4. मझौली	44.0				
5. कुण्डम	16.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) धान, ज्वार, मक्का, कोदों, राहर, तिली, सोयाबीन, उड़द समान.		
3. विजयराघवगढ़	28.0				
4. बहोरीबंद	2.2				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	5.0				
7. बड़वारा	10.0				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. गाडरवारा	. .		4. (1) धान, ज्वार, उड़द, सोयाबीन,मूँग अधिक. मक्का, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	27.0		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	8.0				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	2.0				
***जिला मण्डला :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. निवास	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. बिछिया	. .		(2) . .		
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जगनी की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. डिण्डोरी	11.0		4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, राहर, कोदों-कुटकी, तिल, रामतिल, उड़द समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	7.0		(2) समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) . .		
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. मोहखेड़ा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	12.4		4. (1) धान, मक्का, तुअर, मूँगफली, गन्ना अधिक. ज्वार, बाजरा, कोदों-कुटकी, उड़द, मूंगमोठ, तिल, सोयाबीन, कपास, सन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	38.0				
3. लखनादौन	23.0				
4. बरघाट	2.2				
5. कुरई	91.0		(2) . .		
6. घंसौर	9.7				
7. घनोरा	15.0				
8. छपारा	43.2				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	38.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	27.3		(2) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, तुअर, गन्ना समान.		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	46.5				
5. कटंगी	17.4				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला गुना, पन्ना, रीवा, मंदसौर, पूर्व निमाड़, रायसेन, मण्डला से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(07)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.